



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 38RAJ20006

संख्या : RAJ/NGR-22/LST-08
प्रेषित : प्रबन्ध निदेशक एवं खान मालिक, चावण्डिया चूना पत्थर खान,
मेसर्स एम डब्लू माइंस प्राइवेट लिमिटेड,
रामदेव मंदिर मार्ग, खिमसर, जिला-नागौर(राजस्थान), 341 025
Email: drrsg@mwmmines.com

दिनांक : 05.12.2022

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your
Chawandia Limestone Mine (Lease area 335.37 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 14.10.2022 by undersigned in presence of Shri Gopi Chand, Mine Manager:


Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 13(2)	The benches in overburden were not kept sufficiently in advance so that their workings do not interfere with the working of ore or minerals.
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।


भवदीय



(डी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
- 4 रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो